

25/6/22

हुक्म नं. 218/22  
10

2/8/22

वसुलात करीबन 39.1

जार्जिया-पत्र पर विद्यमान अधिवक्ताओं

की बरत सुनी गई। जार्जिया

की उत्तर से उत्तर नामा-रटकल

सं. 139 के अन्तर्गत देना की

जोतगी पर उनके कारिमान के

नाम नामा-रटकल करा गया है।

जार्जिया के विवाह आराजी पुरखे

है, लिहाजा जार्जिया के जार्जिया-पत्र

को स्वीकार कर मूल बरत के

ताफैलता तब जार्जिया के पत्र में

रथा जार्जिया के विषय इस

आशय की स्थायी निपे-धारा जारी

की जाती है कि वे मौजा-सुरपुरा

तखील कलदागपुर के क्षेत्र ख. नं.

175 वरकवा 30.03 बीमा, 569/176

वरकवा 33.08 बीमा, व ख. नं. 571/176

वरकवा 210 बीमा विवाह आराजी



भागे केचान हस्ताक्षर ~~कर~~ कादि नही  
करे। नोके व रेकॉर्ड की यथास्थिति  
बनाये रहे।

~~पत्रावली जो लाल शुमार होकर  
नाकल के रूप में  
जिसे कि खुले न्यायालय में बनाया  
गया।~~

(नरेश मीनी)  
सहायक कमिश्नर  
(SDO) बालोतरा